न्यायालय: अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
(विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट कैसेज) फलोदी

पीठासीन अधिकारी : जयपाल जाणी (RJS)(DJ Cadre)

सेशन प्रकरण संख्या: 35/2016 (01/2009)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–44/2008 पुलिस थाना बाप

CIS NO. 34/2016 CNR NO. RJPH01-000198-2016

राजस्थान राज्य **.......अभियोगी**

बनाम

1– पप्पू कुमार पुत्र हरलाल, उम्र–40 वर्ष, निवासी बज्जू, जिला बीकानेर

2– ओमप्रकाश पुत्र सुभागाराम, उम्र–50 वर्ष, निवासी नेहड़ों की ढाणी, विष्णु नगर, लोहावट, जिला फलोदी (राज.)

.........अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 8/15, 25 व 29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश कड़वासरा विशिष्ट लोक अभियोजक राज्य।
2. श्री बी.आर. गोदारा, श्री रामप्रकाश माली अधिवक्तागण अभियुक्तगण।

-: निर्णय :- **दिनांक: 06.06.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.06.2008 को 3:20 ए.एम. पर राजेन्द्रसिंह, एस.आई, एस.एच.ओ. पुलिस थाना बाप को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति बोलेरो RJ-07GA-3541 में डोडा पोस्त के बोरे भरकर बाप स्थित नोख फांटा होते हुए नोख की तरफ जाने वाला है। मुखबीर की सूचना रोजनामचा आम में अंकित कर सूचना एस.पी./एडि.एस.पी/सी.ओ. फलोदी को देने हेतु कानि. कानसिंह को रवाना किया एवं वह, एफ.सी. ओपाराम, दमाराम, शिवशंकर, ओमप्रकाश व सरकारी जीप चालक हरचंदराम के साथ रवाना होकर नोख फांटा बाप पहुंचा। एफ.सी. ओमप्रकाश स्वतंत्र मौतबीरान हरचंदराम पुत्र पांचाराम निवासी भजननगर लोहावट व शकूर खां पुत्र हाजी मीर मोहम्मद निवासी हिण्डालगोल को तलब कर लाया, जिनकी सहमित की फर्द पृथक् मुर्तिब कर नोख रोड़ पर सी.आई.डी. आफिस के सामने नाकाबंदी शुरू की।

दौराने नाकाबंदी 5:25 ए.एम. पर एक बोलेरो वाहन नम्बर RJ-07GA-3541 आती दिखायी दी, जिसे रूकने का ईशारा किया तो वाहन चालक व एक अन्य व्यक्ति करीब 50 मीटर पहले गाड़ी खड़ी कर उतरकर भागने लगे, जिनका पीछा किया मगर वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये। 5:45 ए.एम. पर वाहन की तलाशी आरम्भ की गई तो वाहन के पीछे बॉडी में तीन बोरे भरे हुए मिले, जिनको चैक करने पर बोरों में डोडा पोस्त चूरा भरा हुआ पाया गया, जिनका तोल किया तो वजन क्रमशः 65, 48 व 28 किलोग्राम हुआ, जिन्हें कब्जा पुलिस लिये जाकर उनमें से रासायनिक परीक्षण हेतू नमूना सेम्पल व कंट्रोल सैम्पल हेतु 500–500 ग्राम डोडा चूरा अलग–अलग दो सफेद कपड़े की थैलियों में भरकर सील चेपा कर नमूना सेम्पल पर मार्क ए व कंट्रोल सेम्पल पर मार्क बी अंकित किया गया। वाहन की तलाशी के दौरान डेश बॉर्ड मे एक काले रंग का छोटा बैग मिला जिसमे वाहन की आर.सी., आई.सी., फिटनेस, डी.एल., निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, स्टेट बैंक का ए.टी.एम, दो डायरियां व वाहन की सर्विस बुक आदि कागजात मिले, जो सभी दस्तावेज पप्पू कुमार पुत्र हरलालराम निवासी धर्मशाला के पास बज्जू के नाम से होना पाये गये एवं पप्पू कुमार की दसवीं की मार्कशीट, राशन कार्ड आदि की प्रतिलिपि भी गाड़ी में पड़ी मिली । सभी दस्तावेजो को उसी काले बैग में सीलचेपा किया गया एवं वाहन को जरिये फर्द जब्त किया गया। नमूना सील फर्द पर अंकित कर सील को नष्ट किया गया। बाद कार्यवाही थाना पहुंच सीआर नम्बर 44/2008 अन्तर्गत धारा 8/15, 25 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया एवं बरामदा माल मालखाना में जमा करवाकर अनुसंधान शुरू किया गया..... इत्यादि। बाद अनुसंधान अभियुक्त पप्पू कुमार के विरूद्ध धारा 8/15, 25 एन.डी.पी.एस. एवं अभियुक्त ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 8/15 सपिठत धारा 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित मानकर अभियुक्त ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 299 सीआर.पी.सी. के तहत आरोप पत्र न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट कैसेज, जोधपुर में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया।

2. तत्पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक Gen/T.R.C./16/2016 की पालना में उक्त प्रकरण अंतरित होकर दिनांक

22.08.2016 को इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त पप्पू कुमार को धारा 8/15, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आरोप व अभियुक्त ओमप्रकाश को धारा 8/15 सपिठत धारा 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्ल्यू–1 कालूराम, पी.डब्ल्यू–2 हरचंदराम, पी.डब्ल्यू–3 कानसिंह, पी.डब्ल्यू–4 भागीरथराम, पी.डब्ल्यू–5 शकूर, पी.डब्ल्यू–6 ओपाराम, पी.डब्ल्यू–7 शिवशंकर, पी.डब्ल्यू–8 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू–9 भागुराम, पी.डब्ल्यू–10 खेताराम, पी.डब्ल्यू–11 चैनसिंह एवं पी.डब्ल्यू–12 राजेन्द्रसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न लिखित दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये :–

क्रम सं.	प्रदर्श	दस्तावेज
1.	प्रदर्श पी–1	फर्द नक्शा व हालात मौका
2.	प्रदर्श पी–2	फर्द बरामदगी मादक पदार्थ डोडा पोस्त
3.	प्रदर्श पी–3	फर्द जब्ती वाहन बोलेरो कैम्पर
4.	प्रदर्श पी–4	फर्द जब्ती कागजात
5.	प्रदर्श पी–5	फर्द नमूना सील
6.	प्रदर्श पी–6	फर्द नष्ट नमूना सील
7.	प्रदर्श पी–7	पुलिस बयान हरचंदराम
8.	प्रदर्श पी–8	फर्द सहमति मौतबिर हरचंदराम
9.	प्रदर्श पी–9	धारा 42(2) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सूचना उच्चाधिकारियों को भेजने की प्राप्ति
10.	प्रदर्श पी–10	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त पप्पू कुमार
11.	प्रदर्श पी–11	फर्द सहमति मौतबिर शकूर खां
12.	प्रदर्श पी–12	पुलिस बयान शकूर खां
13.	प्रदर्श पी–13	धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत बरामदशुदा सैम्पल मालखाना में जमा कराने की फर्द

14.	प्रदर्श पी–14	रोड सर्टिफिकेट
15.	प्रदर्श पी–15	एस.पी कार्यालय का अग्रेषण पत्र
16.	प्रदर्श पी–16	विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर द्वारा जारी प्राप्ति रसीद
17.	प्रदर्श पी–17	धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सूचना उच्चाधिकारियों को भेजने की फर्द
18.	प्रदर्श पी–18 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
19.	प्रदर्श पी–19	पुलिस बयान चैनसिंह
20.	प्रदर्श पी–20	पर्चा कायमी मुकदमा
21.	प्रदर्श पी–21	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुलजिम पप्पू कुमार
22.	प्रदर्श पी–22	चाक एफ.आई.आर.
23.	प्रदर्श पी–23	एफ.एस.एल. रिपोर्ट

5. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया, जिसमें उन्होंने गवाहान के कथनों को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

6. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निम्नांकित विचारणीय बिन्दू हैं:–

"क्या दिनांक 10.06.2008 को राजेन्द्र सिंह, थानाधिकारी पुलिस थाना बाप द्वारा की नाकाबंदी के दौरान अभियुक्त पप्पू कुमार द्वारा स्वयं के स्वामित्व की परिवहन की जा रही बोलेरो वाहन संख्या RJ-07GA-3541 को रूकने का ईशारा करने पर पप्पू कुमार व ओमप्रकाश भाग गये एवं वाहन की तलाशी लिये जाने पर तीन बोरों में कुल 141 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया एवं उक्त डोडा पोस्त ओमप्रकाश द्वारा पप्पू कुमार को आपराधिक षड्यन्त्र के तहत सप्लाई किया गया अथवा नहीं ? यदि हाँ, तो उचित सज़ा क्या होगी ?"

7. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे

साबित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जाए। जबकि अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस करते हुए कथन किया कि मुखबिर की सूचना वाहन से मादक पदार्थ बरामद होने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी एवं बरामदगी की कार्यवाही सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गई थी लेकिन वाहन से तलाशी के सम्बन्ध में तलाशी वारण्ट प्राप्त नहीं किया गया एवं न ही बिना वारण्ट तलाशी की फर्द तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई। प्रकरण में बरामदगी की कार्यवाही स्वतंत्र मौतबिरान के समक्ष की गई लेकिन दोनों स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने बरामदगी की कार्यवाही की पुष्टि नहीं की है। बरामद किये गये वजह सबूत से लिये गये सैम्पल 72 घंटों के भीतर विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित नहीं किये गये तथा न ही प्रत्येक बोरे से अलग–अलग सैम्पल निकालकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजे गये थे। बरामदगी की कार्यवाही व अनुसंधान एक ही अधिकारी द्वारा किया गया था, जो अधिनियम के अनुसार विधिसम्मत नहीं है। प्रकरण में धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत इन्वेंट्री नहीं करवाई गई और न ही वजह सबूत को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत तथ्यात्मक रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को विहित समयावधि में भेजना अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है। स्वतंत्र मौतबिरान के अतिरिक्त अन्य समस्त गवाहान सरकारी मुलाजमान है, जिनके बयानों में विरोधाभास है। जब्तशुदा वाहन अभियुक्त पप्पू कुमार के स्वामित्व के होने के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि वाहन के स्वामी को मादक पदार्थ परिवहन करने के सम्बन्ध में जानकारी थी। अभियुक्त पप्पू कुमार से सहअभियुक्त के सम्बन्ध में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना पुलिस अभिरक्षा के दौरान प्राप्त की गई, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । इन तथ्यों को देखते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये, जिनका अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त कियाः–

(1) Criminal Appeal No. 448 of 2006 (From Supreme Court of India) Decided Date 08 February, 2011Bhola Singh Vs State Of Punjab.

(2) AIR 2016 SC 3041, Criminal Appeal No. 1233 of 2006 (From Rajasthan High Court) Decided Date 29 June, 2016 State Of Rajasthan VS Jagraj Singh @ Hansa.

(3) 2022(4) Cr.L.R (Raj.) 1889 RHC Chunni lal Vs State Of Raj.

8. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्ल्यू–1 कालूराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब चार–पांच साल पहले पुलिस वाले नोख फाटक पर उसकी दुकान पर आये एवं प्रदर्श पी–1 अपराध विवरण पर 'ए से बी' उसके हस्ताक्षर करवाये । उसे पुलिस वालों ने यह नहीं बताया कि हस्ताक्षर किस बात के है। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह गलत है कि पुलिस वालों ने उसे बताया हो कि उन्होंने नाकाबंदी की और पप्पू कुमार के भाग जाने के सम्बन्ध में मौका देखना है। उसे पता नहीं कि मेहरदीन कौन है।

9. गवाह पी.डब्ल्यू–2 हरचंदराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 10.6.08 को वह बाप फांटे पर शराब की दुकान पर सैल्समैन था। उसे पुलिस वालों ने बाप थाने बुलाया और साईन करवाये थे। उसे पुलिस वाले कहीं लेकर नहीं गये और ना ही उसके सामने कोई वस्तु बरामद की। उसके फर्द बरामदगी इएक्स्पी–2, फर्द जब्ती वाहन प्रदर्श पी–3, फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श पी–4, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–5, फर्द नष्ट नमूना सील प्रदर्श पी–6 पर 'ए से बी' उसके हस्ताक्षर है। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। यह गलत है कि पुलिस ने बतौर मोतबिर थाने बुलाया हो और सूचना से अवगत करवाया हो। यह गलत है कि पुलिस वालों ने उसके सामने सी.आई.डी. ऑफिस बाप के सामने नाकाबंदी की हो और 5.15 ए.एम पर एक बोलेरो आर जे 07 जीएम 4531 नोख की तरफ जाती दिखाई दी हो, जिसे रुकने का इशारा किया हो और उक्त वाहन का चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया हो और वाहन की नियमानुसार तलाशी लेने पर तीन बोरों में डोडा बरामद किये हो। यह गलत है कि वाहन में पप्पूराम की आर.सी, डी.एल. , ए.टी.एम, सर्विस बुक,

पहचान पत्र मिले, जिनको जब्त किया था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि कागजात उसे पढ़कर नहीं सुनाये थे।

10. गवाह पी.डब्ल्यू–3 कानसिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 10.06.2008 को वह पुलिस थाना बाप एफ.सी. के पद पर तैनात था। उस रोज अनुसंधान अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने तीन सील बंद लिफाफे सी. ओ साहब, एड.एस.पी. साहब व एस.पी. साहब को सुपुर्द करने हेतु दिये, जिन्हें देकर उनकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की। प्राप्ति प्रदर्श पी–9 पर सी.ओ. साहब, एस.पी. साहब व एड. एस.पी. साहब के प्राप्ति के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उसने लिफाफा सी .ओ. साहब के चालक को दिया था। 10.30 बजे जोधपुर पहुंच गया था और एस.पी. साहब को लिफाफा दिया। यह सही है कि प्रदर्श पी–9 पर उसके लिफाफे प्राप्त करने के हस्ताक्षर नहीं है।

11. गवाह पी.डब्ल्यू–4 भागीरथराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26.07.2008 को वह पुलिस थाना बाप में कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह ने उसके सामने मुलजिम पप्पू कुमार को जरिए फर्द प्रदर्श पी–10 गिरफ्तार किया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि मुलजिम को थाने में गिरफ्तार किया था।

12. गवाह पी.डब्ल्यू–5 शकूर ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब 09–10 साल पहले पुलिस वाले उसे बुलाने नहीं आये थे, न ही वह पुलिस के साथ कहीं गया था। पुलिस ने उसके सामने किसी गाड़ी से डोडा पोस्त से भरे बोरे बरामद नहीं किये थे व पिकअप गाड़ी भी बरामद नहीं की थी। फर्द प्रदर्श पी–2, 3, 4, 5 व 6 तथा फर्द सहमति मोतबिर प्रदर्श पी–11 पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी–12 का हिस्सा ए से बी व सी से डी उसने नहीं दिया। यह गलत है कि पुलिस ने करीब 9–10 साल पहले उसके सामने गाड़ी संख्या आर जे 07 जीए 3541 की तलाशी में 141 किलो डोडा पोस्त बरामद किए हो। अधिवक्ता

अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उपरोक्त फर्दें उसके सामने नहीं बनाई थी।

13. गवाह पी.डब्ल्यू–6 ओपाराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 10.06.2008 को वह पुलिस थाना बाप में कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज 3.20 ए.एम. पर राजेन्द्र सिंह थानाधिकारी को मुखबिर से इत्तला मिली कि बोलेरो आर जे 07 जी ए 3541 डोडा पोस्त से भरी हुई आ रही है एवं नोख की तरफ जाएगी। जिस पर वे नोख फांटा पहुंचे, जहां ओमप्रकाश कानि. स्वतन्त्र मोतबिर हरचंदराम व शकूर खां को तलब करके लाया, जिनसे मोतबिर रहने की लिखित में सहमति प्राप्त की। नाकाबंदी के दौरान 05.25 ए.एम. पर नोख की तरफ एक गाड़ी आती दिखाई दी, नाकाबंदी से 50 मीटर पहले गाड़ी रोककर दो व्यक्ति अंधेरे का फायादा उठाकर भाग गये, जिनकी तलाश की लेकिन नहीं मिले। बाद में गाड़ी की तलाशी ली तो बॉडी में तीन बोरे डोडा पोस्त के भरे हुए मिले, जिनका तोल किया तो कुल वजन 141 किलो हुआ, जिनमें से आधा किलो कन्ट्रोल सैम्पल व आधा किलो नमूना सैम्पल निकालकर सील चेपा किया व शेष 140 किलो डोडा पोस्त को उन्हीं बोरों में सील चेपा किया। गाड़ी की तलाशी ली तो डेशबोर्ड में एक बैग में उक्त गाड़ी की आर .सी, इन्श्योरेन्स, बैंक डायरी, ए.टी.एम आदि मिले, जो पप्पू कुमार पुत्र हरलाल राम, निवासी बज्जू के नाम से थे। बरामदा डोडा पोस्त को जमा मालखाना करवाया गया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–13 पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 26.07.2008 को मुलजिम पप्पू कुमार को जरिए फर्द प्रदर्श पी–10 गिरफ्तार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि थानेदार को मुखबिर की इत्तला मिली तब वह थानेदार के पास नहीं था। 03.30 ए.एम. पर वे थाने से रवाना हुए थे। नाकाबंदी स्थल पर वाहन को 150 मीटर दूर से आते देख लिया था। यह सही है कि उक्त वाहन के फाटकों के लॉक लगे हुए थे, उन्होंने लॉक तोड कर चैक किया था। बोरे प्लास्टिक के थे, जिनको गाड़ी से नीचे उतारकर तिरपाल पर खाली किया था। वह मौतबिरान को पहले से नहीं जानता था। मौतबिरान की सहमति की लिखापढ़ी मौके पर पहुंचने के बाद की थी। भागने वाले दोनों व्यक्ति अलग–अलग साइड में भागे थे जो

उत्तर पूर्व में भागे थे। उसने, दमाराम, ओमप्रकाश व शिवशंकर ने करीब एक किलोमीटर तक उनका पीछा किया था। यह सही है कि प्रत्येक बोरे से अलग–अलग सैम्पल नहीं लिए थे। यह सही है कि वाहन में से एक व्यक्ति के नाम के दस्तावेज मिले थे। मालखाना में माल कितने बजे जमा करवाया, समय याद नहीं है। यह सही है कि नमूना सील मालखाना में जमा नहीं करवाई, स्वतः कहा कि मौके पर नष्ट कर दी थी। यह सही है कि पप्पू कुमार पुत्र हरलाल निवासी मदासर का कोई कागज वाहन में नहीं मिला था।

14. गवाह पी.डब्ल्यू–7 शिवशंकर ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 10.06.2008 को वह पुलिस थाना बाप में कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज थानाधिकारी राजेन्द्रसिंह को 3.20 ए.एम. पर जरिए मुखबिर इत्तला मिली कि डोडा पोस्त की गाड़ी आ रही है, जिस पर जाप्ते को तैयार किया एवं धारा 42 की सूचना के लिए कानसिंह को रवाना किया। 3.30 ए.एम. पर थाने से रवाना होकर ओमप्रकाश को मोतबिर बुलाने भेजा, जो हरचंद व शकूर को लेकर आया। 4.20 ए.एम. पर बाप से नोख जाने वाली रोड़ पर सी.आई.डी कार्यालय के पास नाकाबंदी शुरू की तो 05.20 ए.एम. पर एक बोलेरो कैम्पर बाप फांटा की तरफ से आई, जो करीब 50 कदम दूर पीछे रूकी और चालक व एक आदमी नीचे उतरकर अधेंरे का फायदा उठाकर भागने लगे। उनका पीछा किया लेकिन वे नहीं मिले। 04.45 ए.एम. पर गाड़ी की तलाशी ली तो पीछे तीन बोरों में डोडा पोस्त भरा मिला। जिनका तोल किया गया तो 65, 48 व 28 किलो वजन हुआ। जिसमें से 500–500 ग्राम के दो सैम्पल लिये गये। गाड़ी को चैक किया तो एक काले बैग में गाड़ी की आर.सी, डी एल, मतदाता परिचय पत्र, स्टेट बैंक का ए.टी.एम. मिले, जो पप्पू कुमार के नाम से थे। दिनांक 16.06.2008 को वह सैम्पल जरिए रोड़ संख्या 09 एफ.एस.एल. में जमा करवाने हेतु एस.पी. कार्यालय गया जहां से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर दिनांक 17.06.2008 को एफ.एस.एल. जयपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद की एक प्रति एस .पी. कार्यालय में दी व असल थाने में पेश की। रोड़ प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–14, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–15 व प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–16 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि वे नाकाबंदी स्थल पर 04:00 बजे पहुंचे थे। वाहन

को करीब 40–50 कदम से देख लिया था, उसके नम्बर उस वक्त नहीं देखे थे क्योंकि उस वक्त अधेंरा था। भागने वाले दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में भागे थे। भागने वाले व्यक्ति वाहन को लॉक करके नहीं भागे थे। यह सही है कि गाड़ी के अन्दर पप्पू के नाम से कोई दस्तावेज नहीं मिला था। बरामदा वाहन को ओपाराम चलाकर लाया था, जिसे किस प्रकार से चालू किया उसे याद नहीं है। वह हरचंदराम व शकूर को पहले से नहीं जानता है। यह सही है कि बरामदगी स्थल के पास मौतबिरान के मकान व दुकानें नहीं हैं। यह सही है कि मौके पर बनी किसी भी फर्द पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। वह एफ.एस.एल. में सैम्पल लेकर गया उससे पहले बयान लिए थे। यह सही है कि प्रदर्श पी–14 में प्राप्तिकर्ता के रूप में उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी–15 पर जिला पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर उसके सामने नहीं करवाए थे। एफ.एस.एल. जयपुर दिनांक 17.06.2008 को सुबह पहुंचा था। यह सही है कि वह जो सैम्पल लेकर गया था वो आज अदालत में नहीं है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू–8 ओमप्रकाश ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 10.06.2008 को वह पुलिस थाना बाप में कानि. के पद पर तैनात था। 03.30 बजे वे थाने से रवाना होकर नोख फांटा पहुंचे, जहां थानेदार ने उसे स्वतन्त्र मोतबिर तलबी हेतु भेजा जिस पर वह हरचंदाराम एवं शकूर खां को लाया। बाद में वहां से रवाना होकर नोख रोड़ की तरफ सी.आई.डी. कार्यालय के सामने लगभग 04.00 बजे थानेदार ने दोनों स्वतन्त्र मोतबिर को मुखबिर की इत्तला से अवगत करवाया, जिस पर दोनों ने अपनी सहमति दी एवं जाप्ता ने 04.00 बजे नाकाबंदी शुरू की। करीब 05.25 ए.एम. पर नोख की तरफ से एक बोलेरो कैम्पर आती दिखाई दी, जिसे रूकने का इशार किया लेकिन उनके नाकाबंदी पॉइंट से 50 मीटर पहले गाड़ी रोक दी एवं उसमें से दो व्यक्ति नीचे उतरकर भागने लगे जिनका उसने एवं जाप्ता ने पीछा किया लेकिन अंधेरे के कारण वे भाग गये। बोलेरो गाड़ी की तलाशी ली तो बॉडी में तीन कट्टों में कुल 141 किलो डोडा पोस्त मिला, जिनको तिरपाल पर खाली कर उसमें से 500–500 ग्राम के नमूना एवं कन्ट्रोल सैम्पल लेकर मार्क 'ए व बी' अंकित किया एवं बाकी डोडा पोस्त को कट्टों में भरकर मार्क 1, 2, 3 अंकित किया। गाड़ी की तलाशी ली

तो एक काले रंग के बैग में गाड़ी की आर.सी, इंश्योरेन्स, फिटनेस, डी.एल, मतदाता परिचय पत्र, ए.टी.एम. कार्ड एवं 10 वीं की मार्कशीट मिली। उक्त सभी दस्तावेजों पर पप्पू कुमार नाम लिखा हुआ था। सभी को कपड़े की थैली में डालकर पैक किया एवं नमूना सील अंकित की गयी। बाद कार्यवाही थाना पहुंच थानेदार साहब ने डोडा पोस्त एवं वाहन को मालखाना इन्चार्ज खेताराम को सुपुर्द किया। वह 13 तारीख को सुबह 6 बजे तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदर्श पी–17 एस.पी. साहब को देने एस.पी. कार्यालय गया था। बरामदा माल मालखाने में जमा करवाने की फर्द प्रदर्श पी–13 पर उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–5 में प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट ले जाने का उल्लेख नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी–17 में रिपोर्ट उसके साथ भेजने व प्राप्तकर्ता द्वारा रिपोर्ट उससे प्राप्त करने का हवाला नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी –17 के प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर के नीचे नाम व पदनाम की मोहर अंकित नहीं है। थानेदार ने मूखबिर की सूचना से 03.20 ए.एम. पर अवगत करवाया था। यह सही है कि मुखबिर की इत्तला सूर्योदय से पहले मिली थी। यह सही है कि वाहन आया और वाहन को चैक किया उस समय तक सूर्योदय नहीं हुआ था। यह सही है कि मुखबिर की सूचना वाहन से अवैध मादक पदार्थ आने की थी। भागने वाले व्यक्ति अलग – अलग दिशा में भागे थे। यह सही है थानेदार साहब ने तहसीलदार कार्यालय तलाशी वारन्ट प्राप्त नहीं किया था। यह सही है कि वारन्ट नहीं लेने का पर्चा मुर्तिब नहीं किया था। यह सही है कि किसी भी फर्द पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि मौके से भागने वाले लोगों को उसने नहीं पहचाना था न ही दौराने अनुसंधान उससे शिनाख्ती करवाई थी। यह सही है कि उसके सामने प्रत्येक बोरे से अलग–अलग नमूने नहीं लिये थे। यह सही है कि दोनों मोतबिर शराब के ठेकेदार के नौकर थे।

16. गवाह पी.डब्ल्यू–9 भागुराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16.06.2008 को वह एस.पी. कार्यालय जोधपुर ग्रामीण में कानि. के पद पर तैनात था, उस रोज पुलिस थाना बाप से कानि. शिवशंकर ने प्रकरण संख्या 44/08 से संबंधित कागजात व एक नमूना सैम्पल सील बंद पैकेट मार्क 'ए'

एफ.एस.एल. का अग्रेषण पत्र तैयार करने हेतु उसे सुपुर्द किया, जिसे चैक करके अग्रेषण पत्र तैयार कर सुपुर्द किये। दिनांक 17.06.2008 को एफ.एस.एल. में जमा करवाकर दिनांक 18.06.2008 को रसीद की प्रति कार्यालय में लाकर पेश की। अग्रेषण प्रदर्श पी–15 पर उसके लघु हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–6 में माल एफ.एस.एल. में दिनांक 17.08.2008 को जमा होना लिखा है। यह सही है कि प्रदर्श पी–14 में नमूना के साथ नमूना सील फर्द भेजने का उल्लेख नहीं है। यह गलत है कि इस प्रकरण के नमूने उसके पास दिनांक 16.06.2008 से पहले आये और उसने सील संबधी एतराज करके लौट दिये हो।

17. गवाह पी.डब्ल्यू–10 खेताराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 10.06.2008 को वह पुलिस थाना बाप में एच.एम. के पद पर तैनात था। उस रोज सी आर नं 44/08 में बरामदा डोडा पोस्त व कैम्पर गाड़ी मालखाने में जमा करवाए जो मालखाने में जमा कर इन्द्राज मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–18 में किया, जिसकी प्रति प्रदर्श पी–18 ए है। उसने नमूना सैम्पल दिनांक 16.06.2008 को जरिए रोड़ संख्या–8 शिवशंकर कानि. के साथ एफ.एस.एल. भिजवाया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी–18 पर उसके जमाकर्ता के रूप में हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि नमूना सील की फर्द उसके पास जमा नहीं हुई थी। यह सही है कि उसने नमूने प्रदर्श डी 7 के जरिए भेजे थे। यह सही है कि प्रदर्श डी 7 में नमूना सील की फर्द भेजने का उल्लेख नहीं है।

18. गवाह पी.डब्ल्यू–11 चैनसिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 8–10 साल पहले वह भेरूसिंह की दुकान पर बैठा था। उस रात उसके पास डोडा पोस्त कैंपर गाड़ी वाला कोई नहीं आया था। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी–19 का हिस्सा ए से बी उसने पुलिस को नहीं दिया था।

19. गवाह पी.डब्ल्यू–12 राजेन्द्र सिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 10.06.2008 को पुलिस थाना बाप में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज 3:20 ए.एम. पर जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक बोलेरो कैम्पर आर.जे.–07 जी.ए–3541 डोडा पोस्त से भरकर बाप से नोख की तरफ जाने वाली है। मुखबिर सूचना रोजनामचा रपट में दर्ज कर सूचना की प्रति पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व वृताधिकारी वृत फलोदी को देने हेतु कानि. कानसिंह को रवाना किया। वह कानि. ओपाराम, कानि. दमाराम, कानि. शिवशंकर, कानि. ओमप्रकाश, सरकारी गाड़ी चालक कानि. हरचंदराम के साथ अनुसंधान बॉक्स लेकर नोख फांटा की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर कानि. ओमप्रकाश को स्वतंत्र मोतबिर तलबी हेतु रवाना किया, जिस पर वह हरचंदराम पुत्र पांचाराम व शकूर खां को तलब कर लाया, जिन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत करवाकर मोतबिर रहने की लिखित में सहमति प्राप्त की एवं 04:00 ए.एम. पर सी.आई.डी. कार्यालय नोख रोड़ पर नाकाबंदी की गई। करीबन 5:25 ए.एम. पर एक बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-07 GA-3541 नोख जाने वाली रोड़ की तरफ आती हुई दिखायी दी, जिसे रूकने का इशारा किया तो वाहन चालक व उसके पास बैठा एक अन्य व्यक्ति नाकाबंदी स्थान से करीब 50 मीटर पहले वाहन को छोड़कर भागने लगे। कानि. ओपाराम, कानि. दमाराम, शिवशंकर ने उनका पीछा किया लेकिन अंधेरा होने के कारण दोनों भाग गये। 5:45 ए.एम. पर वाहन की तलाशी शुरू की तो पीछे बॉडी में तीन बोरों में डोडा पोस्त चूरा भरा मिला, जिनका अलग–अलग वजन किया तो 65 किलोग्राम, 48 किलोग्राम तथा 28 किलोग्राम हुआ। तीनों बोरों का कुल वजन 141 किलोग्राम हुआ। तीनों बोरों को एक तिरपाल पर खाली करवाकर नमूना सैम्पल एव कन्ट्रोल सैम्पल के लिए 500–500 ग्राम डोडा पोस्त कपड़े की थैलियों में डालकर सील चेपा कर मार्क अंकित किये तथा शेष बचे 140 किलोग्राम डोडा पोस्त को पुनः कट्टों में भरकर मार्क अंकित किये गये। बोलेरो कैम्पर की तलाशी ली गई तो उसमें एक काले रंग का बैग मिला जिसमें वाहन की आरसी, इन्श्योरेन्स, फिटनेस, ड्राईविग लाईसेन्स, निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, एटीएम इत्यादि कागजात मिले जो सभी पप्पूराम के नाम के पाये गये तथा

पप्पूराम की दसवी की मार्कशीट की व राशन कार्ड की फोटो प्रति भी मिली। सभी दस्तावेजो को उसी बैग में डालकर सील किया गया तथा वाहन को जब्त किया गया। फर्द नमूना सील मुर्तिब की गई। समस्त कार्यवाही की जाकर थाना आये जहां बरामदा माल व वाहन के कागजात मालखाना इन्चार्ज खेताराम को सुपुर्द किये तथा मुकदमा दर्ज किया गया। पर्चा कायमी जुर्म प्रदर्श पी –20 है। फर्द मुखबिर सूचना धारा 42(2) एन.डी.पी.एस. प्रदर्श पी–9 है जिस पर उसके, डीवाईएसपी फलोदी, पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण की प्राप्ति व हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती अवैध डोडा पोस्त प्रदर्श पी–2, फर्द बरामदगी नक्शा नजरी प्रदर्श पी –1, फर्द जब्ती बोलेरो आर.जे–07 जी.ए–3541 प्रदर्श पी–3, फर्द जब्ती कागजात वाहन बोलेरो कैम्पर नम्बर आर.जे–07 जी.ए–3541 व अन्य कागजात प्रदर्श पी–4, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–5, नमूना सील निस्तारित करने की फर्द प्रदर्श पी–6, फर्द सहमति मोतबिर प्रदर्श पी–11, फर्द अन्तर्गत धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श पी–13 व पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण को भेजी धारा 57 की इत्तला प्रदर्श पी–17 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण का अनुसंधान उसके द्वारा किया गया। गवाहान कानि. ओपाराम, कानि. दमाराम, कानि. शिवशंकर, ओमप्रकाश, चेनसिंह, गफूरखां, खेताराम, भागूराम, तितम्बा बयान शिवशंकर के बयान उनके कथनानुसार लिये तथा दिनांक 26.07.2008 को अभियुक्त पप्पूकुमार को गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द पर उसके हस्ताक्षर है। जैर हिरासत पप्पूराम की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी–21 है। एफ.एस.एल. हेतु पुलिस अधीक्षक को भेजा गया पत्र ईएक्सडी–7, रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी–14, मालखाना रजिस्टर की फोटो प्रति प्रदर्श पी–18 ए, रोजनामचा आम रपटें प्रदर्श पी–ईएक्सडी–6 , पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी –15, एफ.एस.एल. की प्राप्ति प्रदर्श पी –16, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी –22, एफ.एस.एल. रिपार्ट प्रदर्श पी –23 है। बाद अनुसंधान अभियुक्त पप्पूकुमार व ओमप्रकाश के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया । अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मुखबिर की सूचना अभियुक्त पप्पूराम के नाम की नहीं मिली थी। यह सही है कि

बरामदगी की कार्यवाही मुखबिर की सूचना के अनुसार की गयी थी। यह सही है कि मुखबिर की सूचना वाहन की थी। यह गलत है कि प्रकरण में बरामदगी की कार्यवाही रात्रि के समय की गयी थी, स्वतः कहा कि सुबह 5:45 ए.एम. पर की थी। यह कहना सही है कि वाहन की तलाशी लेने हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट से कोई तलाशी वारण्ट प्राप्त नहीं किया था। यह सही है कि बरामदगी की कार्यवाही सूर्योदय से पहले की थी। यह सही है कि बिना वारण्ट खाना तलाशी की फर्द मुर्तिब कर उच्चाधिकारियों को नहीं भेजी थी। यह सही है कि उक्त प्रकरण में सीजरकर्ता व अनुसंधानकर्ता वह स्वयं ही था। यह सही है कि सीज करने के बाद अनुसंधान हेतु किसी अन्य अधिकारी को पत्रावली सुपुर्द नहीं की थी। यह सही है कि मौके से भागने वाले व्यक्तियों की उसके व जाब्ते में से किसी के द्वारा भी पहचान नहीं की गयी थी। यह सही है कि उसके द्वारा प्रत्येक बोरे से अलग – अलग नमूने लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजे गये थे। यह कहना सही है कि प्रत्येक बोरे में अवैध डोडा पोस्त हो ऐसा उसके द्वारा मौके पर ड्रग्स किट्स से चैक नहीं किये थे। यह सही है कि प्रकरण में 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत इन्वेन्ट्री रिपोर्ट तैयार नहीं करवायी गयी थी। यह सही है कि प्रकरण के नमूना सैम्पल, वजह सबूत, कन्ट्रोल सैम्पल आज अदालत में नहीं है। यह सही है कि वाहन के कागजात जो वह जब्त होना बता रहा है उक्त कागजात आज अदालत में नहीं है। यह सही है कि उक्त प्रकरण के नमूने दिनांक 16.06.2008 को भेजे गये थे। यह सही है कि प्रकरण के नमूने 72 घण्टों के भीतर विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं पहुचे थे। यह सही है कि अभियुक्त पप्पूराम की गिरफ्तारी के दौरान उसकी कोई शिनख्तगी परेड नहीं करवायी गयी थी। यह सही है कि अभियुक्त की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी तब अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में था। नमूना सील को प्रयोग में लेने के बाद नष्ट कर दिया था।

20. उपरोक्त साक्ष्य एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त पप्पू कुमार के विरूद्ध धारा 8/15, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं अभियुक्त ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 8/15 सपठित धारा 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आक्षेप हैं।

21. जहाँ तक अभियुक्त पप्पू कुमार के विरूद्ध दिनांक 10.06.2008 को पुलिस थाना बाप के थानाधिकारी द्वारा नाकाबंदी के दौरान उसे सहअभियुक्त ओमप्रकाश के साथ स्वयं के स्वामित्व की परिवहन की जा रही बोलेरो संख्या RJ-07 GA-3541 में जाते हुए को रूकने का ईशारा करने पर वाहन से उतरकर भाग जाने व वाहन में तीन बोरों में कुल 141 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किये जाने के सम्बन्ध में धारा 8/15, 25 एन.डी.पी.एस. के आक्षेप है, उक्त आरोपों को अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है क्योंकि प्रकरण में पुलिस थाना बाप द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान बरामदगी की कार्यवाही सूर्योदय व सूर्यास्त के दरमियान की गई थी, जिसकी पुष्टि अभियोजन साक्ष्य के दौरान परीक्षित गवाहान बरामदगीकर्ता पी.डब्ल्यू–12 राजेन्द्र कुमार एवं जाब्ता के सदस्य पी.डब्ल्यू–6 ओपाराम, पी.डब्ल्यू–7 शिवशंकर व पी.डब्ल्यू–8 ओमप्रकाश के बयानों से होती है, गवाहान ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वाहन से भागने वाले दोनों व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये थे। बरामदगीकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू–12 राजेन्द्रसिंह ने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि यह सही है कि बरामदगी की कार्यवाही सूर्योदय से पहले की थी। गवाह पी.डब्ल्यू–8 ओमप्रकाश ने भी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि यह सही है कि मुखबिर की इत्तला सूर्योदय से पहले मिली थी। यह सही है कि वाहन आया और वाहन को चैक किया, उस समय तक सूर्योदय नहीं हुआ था। इस प्रकार उक्त गवाहान के कथनों, फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बरामदगी की कार्यवाही सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व की गई थी एवं पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि बरामदगीकर्ता राजेन्द्र कुमार द्वारा वाहन संख्या RJ-07 GA-3541 की तलाशी के लिये सक्षम प्राधिकारी से तलाशी का वारण्ट प्राप्त नहीं किया था और न ही बिना वारण्ट तलाशी की सूचना तैयार कर उच्चाधिकारियों को नियत अवधि में प्रेषित की गई थी। इस सम्बन्ध में बरामदगीकर्ता गवाह पी. डब्ल्यू–12 राजेन्द्र कुमार ने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि यह सही है कि वाहन की तलाशी लेने हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट से तलाशी वारण्ट प्राप्त नहीं किया था। यह भी स्वीकार किया है कि बिना वारण्ट तलाशी की फर्द मुर्तिब कर उच्चाधिकारियों को नहीं भेजी थी। इसके

अतिरिक्त जाब्ता के सदस्य गवाह पी.डब्ल्यू–8 ओमप्रकाश द्वारा भी प्रति परीक्षा में स्वीकार किया गया है कि थानेदार ने तहसील कार्यालय से तलाशी वारण्ट प्राप्त नहीं किया था, यह सही है कि वारण्ट नहीं लेने का पर्चा भी मुर्तिब नहीं किया था। उपरोक्त विवेचन से प्रकरण में बरामदगीकर्ता द्वारा सूर्यास्त एवं सूर्योदय के मध्य वाहन की तलाशी के सम्बन्ध में धारा 42(1) एन.डी.पी.एस. एक्ट के परन्तुक में किये गये आज्ञापक प्रावधानों का पालन किया जाना साबित नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **State Of Rajasthan VS Jagraj Singh @ Hansa.** में माननीय उच्च्तम न्यायालय एवं न्यायिक दृष्टांत **Chunni lal Vs State Of Rajasthan** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत आज्ञापक प्रावधानों का अपालन कार्यवाही को दूषित कर देता है।

22. प्रकरण में बरामदगी की कार्यवाही स्वतंत्र मौतबिरान के समक्ष की गई है लेकिन बरामदगी की कार्यवाही के दोनों स्वतंत्र मौतबिर पी .डब्ल्यू–1 कालूराम व पी.डब्ल्यू–2 हरचंदराम पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिन्होंने बयानों में कथन किया है कि पुलिस थाना बाप द्वारा उनके समक्ष नाकाबंदी के दौरान वाहन संख्या RJ-07GA-3541 से कोई बरामदगी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त पुलिस जाब्ता के समस्त सदस्यों द्वारा बरामदगी से पूर्व अभियुक्त पप्पू कुमार व ओमप्रकाश को भागते हुए की पहचान नहीं किये जाने के कथन किये गये हैं। बरामदगीकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू–12 राजेन्द्र कुमार ने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि यह सही है कि मौके से भागने वाले व्यक्तियों की उसके व जाब्ते में से किसी के द्वारा भी पहचान नहीं की गयी थी। अनुसंधान के दौरान भागने वाले व्यक्तियों की शिनाख्तगी की कार्यवाही की गई हो, ऐसा पत्रावली के अवलोकन से साबित नहीं है। अभियोजन पक्ष प्रारम्भिक रूप से यह उपधारित करवाने में विफल रहा है कि अभियुक्त को प्रश्नगत वाहन में मादक पदार्थ के परिवहन किये जाने की जानकारी थी। इसी प्रकार का मत अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **Bhola Singh Vs State Of Punjab** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है ।

23. प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत से लिये गये सैम्पल को 72 घंटों के भीतर रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया । इस सम्बन्ध में बरामदगीकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू–12 राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रति परीक्षा में स्वीकार किया गया है कि यह सही है कि प्रकरण के नमूने 72 घण्टो के भीतर विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं पहुचे थे। मालखाना इंचार्ज पी.डब्ल्यू–10 खेताराम ने बयानों में कथन किया है कि नमूना सैम्पल उसने दिनांक 16.06.2008 को जरिए रोड़ संख्या–8 शिवशंकर कानि. के साथ एफ.एस.एल. भिजवाया था, सैम्पल कैरियर गवाह पी.डब्ल्यू–7 शिवशंकर ने बयानों में कथन किया है कि उसने सैम्पल दिनांक 17.06.2008 को एफ.एस.एल. जयपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की। गवाह पी.डब्ल्यू–9 भागुराम ने कथन किया है कि दिनांक 16.06.2008 को पुलिस थाना बाप से कानि. शिवशंकर द्वारा प्रकरण संख्या 44/08 से संबंधित कागजात व एक नमूना सैम्पल पैकेट मार्क 'ए' प्रस्तुत करने पर उसने अग्रेषण पत्र तैयार किया। गवाहान के कथनों से स्पष्ट है कि प्रकरण में बरामदगी की कार्यवाही दिनांक 10.06.2008 को की गई थी एवं लिया गया सैम्पल दिनांक 17.06.2008 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा हुआ था। इस सम्बन्ध में सैम्पल 72 घंटों के भीतर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा नहीं करवाये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में जब्त किये गये वजह सबूत के सम्बन्ध में धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सत्यापन कार्यवाही करवाये जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रदर्शित नहीं है। इस सम्बन्ध में बरामदगीकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू–12 राजेन्द्र कुमार ने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि प्रकरण में 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत इन्वेन्ट्री रिपोर्ट तैयार नहीं करवायी गयी थी। साथ ही प्रकरण में जब्त किये गये वजह सबूत को परीक्षण के दौरान न्यायालय में भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

24. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से यह संदेह से परे साबित नहीं है कि अभियुक्त पप्पू कुमार द्वारा परिवहन की जा रही बोलेरो संख्या RJ-07GA-3541 से दिनांक 10.06.208 को पुलिस दल बाप द्वारा नाकाबंदी के दौरान तीन बोरों में भरा हुआ कुल 141 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया । लिहाजा अभियुक्त

पप्पू कुमार को धारा 8/15, 25 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

25. जहाँ तक अभियुक्त ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 8/15 सपठित धारा 29 एन.डी.पी.एस के आरोपों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है क्योंकि अभियुक्त ओमप्रकाश को सहअभियुक्त पप्पू कुमार के कथनों के आधार पर संलिप्त किया गया है किन्तु अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो अभियुक्त ओमप्रकाश द्वारा पप्पू कुमार को अवैध मादक पदार्थ सप्लाई किये जाने का तथ्य प्रकट करती हो। गवाह पी.डब्ल्यू–12 राजेन्द्र कुमार ने बयानों में कथन किया है कि जैर हिरासत मुलजिम पप्पूराम के बताये अनुसार धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना की फर्द प्रदर्श पी–21 है। प्रदर्श पी–21 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पप्पू कुमार द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई सूचना के अनुसार उसने डोडा पोस्त जहां से भरा उस जगह को बताने व और डोडा पोस्त भरवाने के सम्बन्ध में कथन किये हैं किन्तु उक्त सूचना के अनुसरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त पप्पू कुमार से उक्त स्थान की तस्दीक करवाई गई हो या पप्पू कुमार के कहे अनुसार और डोडा पोस्त बरामद किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बरामदगीकर्ता/अनुसंधानकर्ता पी.डब्ल्यू–12 राजेन्द्र कुमार ने प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि यह सही है कि अभियुक्त ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी, उस समय पुलिस अभिरक्षा में था। साथ ही अभियोजन की ओर से उक्त अवैध डोडा पोस्त के खरीद–फरोख्त हेतु सम्पर्क करने बाबत कोई कॉल डिटेल अथवा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

26. इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विधि का अध्ययन किया जाए तो इस अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानानुसार जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के षड्यंत्र का पक्षकार होगा, वह चाहे ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में किया जाता है या नहीं, और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 106 में किसी बात होते हुए भी उस अपराध

के लिये उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा। संपूर्ण अभिलेख के अवलोकन से अभियुक्त ओमप्रकाश को इस प्रकरण में संलिप्त किये जाने बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

27. न्यायिक दृष्टांत **Kishan Singh V/s State of Raj. Cr.L.R. (Raj.) 1995 Page 176** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि इस अधिनियम की धारा 29 के तहत अपराधिक षड्यंत्र के सम्बंध में परिस्थितिजन्य साक्ष्य या अभियुक्त के आचरण या व्यवहार के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष को स्वतंत्र, पुष्टिकारक व सकारात्मक विधिक साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसरण में उक्त विवेचनानुसार अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में अभियुक्त ओमप्रकाश को संलिप्त किये जाने के संदर्भ में कोई ठोस, स्वतंत्र व पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है, न ही ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध है, जो इस प्रकरण में अभियुक्त ओमप्रकाश को संलिप्त करता हो। जहां तक अभियुक्त ओमप्रकाश का अभियुक्त पप्पू कुमार के साथ जब्तशुदा वाहन में साथ होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि वाहन से भागने वाले दोनों व्यक्ति अभियुक्त पप्पू कुमार एवं ओमप्रकाश ही थे। अभियोजन पक्ष अभियुक्त पप्पू कुमार से अभियुक्त ओमप्रकाश का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र करना स्थापित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

28. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अधिनियम के सम्पूर्ण प्रावधानों की पूर्णरूपेण पालना नहीं की गई है तथा अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पप्पू कुमार व ओमप्रकाश के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है, इसलिए अभियुक्तगण पप्पू कुमार को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/15, 25 एवं अभियुक्त ओमप्रकाश को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/15 सपिठत धारा 29 में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

–: आदेश :–

29. फलतः अभियुक्त पप्पू कुमार पुत्र हरलाल, उम्र–40 वर्ष, निवासी बज्जू, जिला बीकानेर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आरोपो में एवं अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र सुभागाराम, उम्र–50 वर्ष, निवासी नेहड़ों की ढाणी, विष्णु नगर, लोहावट, जिला फलोदी को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/15 सपिठत धारा 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण पप्पू कुमार व ओमप्रकाश जमानत पर है, जिनके पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रत्येक अभियुक्त धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत बीस हजार रूपये के स्वयं के व्यक्तिगत मुचलके एवं इसी राशि की जमानतें प्रस्तुत करे।

30. प्रकरण में बरामदशुदा वजह सबूत यदि हो तो उसे बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाए।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
(विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट कैसेज)
फलोदी, जिला फलोदी

31. निर्णय व आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
(विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट कैसेज)
फलोदी, जिला फलोदी